न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—571/202/223 (2012/00010)

1. शिवराज पुत्र स्व0 श्री नौरत,
2. मानी पुत्री स्व0 श्री नौरत,
3. घीसी पुत्री स्व0 श्री नौरत,
4. लाडा पुत्री स्व0 श्री नौरत,

समस्त जाति चमार, नि0 ग्राम तिलाना, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. गोपी मुतबन्ना अरजन, जाति चमार, नि0ग्राम तिलाना, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नसीराबाद, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद दिनांक 16.7.2012 अंतर्गत वाद संख्या 9/2012 .

उपस्थितः—

1. श्री सुखदेव चौधरी, वकील अपीलांटस ।
2. श्री लक्ष्मणनाथ योगी, वकील रेस्पो0 संख्या 1
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 2.

निर्णय

दिनांकः— 09.01.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय व डिक्री दिनांक 16.7.2012 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस/वादीगण ने अधी0न्याया0 में एक वाद अंतर्गत धारा 88, 188 व 92—ए राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम तिलाना तहसील नसीराबाद की चौसाला जमाबंदी संवत् खाता संख्या 116/113 के खसरा नंबर 1546 रकबा 0.16 है0, खसरा नंबर 1555 रकबा 0.13 है0, खसरा नंबर 1562र कबा 0.11 है0 एवं खाता संख्या 395/373 के खसरा नंबर 351 रकबा 0.67 है0, खसरा नंबर 1911 रकबा 0.25 है0 बने है । उक्त आराजियात के खातेदार काश्तकार अपीलांटस के पिता नौरत मुतबन्ना बेवाको धूला व उसकी पत्नी मु0 राजी बेवा धूला ने वादीगण के पिता गोद लिया तथी से अपीलांटस के पिता अपने दत्तक माता—पिता के साथ रहे एवं उनकी सेवा सुश्रुषा करता चला आ रहा है एवं पगड़ी का दस्तूर भी अपीलांट के पिता के बंधी एवं समस्त

क्रियाकर्म भी अपीलांटस के पिता ने पुत्र की भांति किये थे एवं अपीलांटस के पिता फौत हो गये है एवं उपरोक्त आराजियात अपीलांटस की दत्तक माता के नाम अधिकार अभिलेख में चली आ रही है एवं उसकी भी मृत्यु हो चुकी है । अतः उपरोक्त आराजियात की दुरूस्ती एवं उद्घोषणा हेतु यह वाद पेश किया है जिसे स्वीकार कर वादीगण को विवादित आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 16.7.2012 द्वारा खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि वादीगण/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत राजस्व वाद के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य ग्राम तिलाना की आधार जमाबंदी पेश की जिसमें अपीलांटस के पिता की दत्तक माता के नाम ही अंकित चली आ रही है एवं उनके स्वर्गवास के बाद उक्त आराजियात अपीलांटस के नाम अधिकार अभिलेख में दर्ज होनी चाहिये थी जो नहीं कर पुनः अपीलांटस के पिता की दत्तक माता के नाम दर्ज कर दी जो दुरूस्त योग्य है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि विवादित आराजियात के खातेदार काश्तकार अपीलांटस के पिता की दत्तक माता राजी बेवा धूला थी एवं अपीलांटस उसके विधिक उत्तराधिकारी है जिसके समर्थन में वादीगण ने अधी0न्याया0 में ग्राम मोतविरान व्यक्तियों की साक्ष्य प्रस्तुत की थी इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने वाद खारिज करने मे विधिक त्रुटि कारित की है । यह भी कथन किया कि प्रतिवादी ने अधी0न्याया0 के समक्ष वादीगण के वाद कथनों का खण्डन नहीं किया एवं आधारभूत जमाबंदी में वर्णित इंद्राज में अपीलांटस के पिता की दत्तक माता के नाम अंकित इंद्राज में अपीलांटस का नाम दर्ज करवाने हेतु कथन किया था । ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 के समक्ष वादीगण/अपीलांटस का वाद स्वीकार करने के अतिरिक्त अन्य कोई उपचार नहीं था किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा वादीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे ।

5. जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । वादीगण/अपीलांटस ने अपने पिता के गोद जाने के संबंध में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये जिससे यह साबित हो कि अपीलांटस के पिता को मृतक धूला व उसकी पत्नि राजी ने गोद लिया हो । अतः अपीलांटस खारिज की जावे ।

6. जवाब में विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ने कथन किया कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में अपील को निर्णित किया जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अपीलांटस ने स्वंय के पिता नौरत को मृतक धूला व उसकी पत्नि राजी द्वारा गोद लिये जाने का कथन कर उसकी आराजियात बाबत् वाद प्रस्तुत किया है किन्तु अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष एवं इस न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो कि अपीलांटस के पिता नौरत को मृतक धूला व उसकी पत्नि राजी ने गोद लिया हो । अपने वाद को साबित करने का दायित्व वादीगण का है जिसमें वादीगण

पूर्णतया असफल रहे है । केवल मात्र कथनों के आधार पर वाद डिक्री नही किया जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पाये जाते है ।

8. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद का निर्णय व डिक्री दिनांक 16.7.2012 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 9.1.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर